Registration No. RAJBIL/2016/69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 8 Issue - 01 November, 2024
Total Pages - 28 Price - Rs. 10

निवेश की नई ज़मीन तैयार करने की ज़िद

विकसित राजस्थान के नए सूत्रधार भजनलाल शर्मा

RISING™ RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY
9-10-11 Dec 2024 @ JAIPUR

कौशल विकास- आज की महती आवश्यकता

अंतस के उद्गार

प्रकाश चंद्र
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री
लघु उद्योग भारती

जयपुर में 11 दिसंबर को सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण लघु उद्योग भारती की तीन दशकों की यात्रा में निसंदेह एक स्वर्णिम अध्याय है।

बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में निजी पहल के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में नए दौर के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक नवाचारों और स्किल डेवलपमेंट को प्रभावी ढंग से शिक्षा परिसरों में लागू किया जा रहा है। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी हैं कि शिक्षा संस्थान केवल डिग्रीधारी ही तैयार नहीं करें, बल्कि उन युवाओं में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण आत्मविश्वास भी पैदा किया जा सके।

विदुर नीति में स्पष्ट कहा गया है -अर्थकरी च विद्या। अर्थात ऐसी विद्या में निपुणता जो धन-संपत्ति प्राप्त करने में सहायक हो। जो जीविकोपार्जन में भी समर्थ हो। इसे छह प्रकार के सुखों में से एक बताया गया है।

वर्तमान में केंद्र सरकार कौशल विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और बड़ी धनराशि का इसके लिए प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के काम में तेजी भी आई है लेकिन प्रामाणिकता के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे। चिंता का विषय यह है कि देशभर में उद्योगों के लिए स्किल्ड मैन फोर्स की जरूरत पूरी ही नहीं हो पाती।

इसी उद्देश्य से लघु उद्योग भारती ने इस स्किल सेंटर की आधारशिला रखी। इस सेंटर में देशभर के युवा विविध कौशल में दक्ष होकर अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। इस कौशल केंद्र में फाइनेंस एवं अकाउंटिंग, डिजिटल स्किल, हैंडीक्राफ्ट, एपैरल एवं फैशन, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार किये गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत की हमारी संकल्प यात्रा में इन कौशल केंद्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। जयपुर की तरह अन्य स्थानों पर भी संगठन की ओर से ऐसे कौशल विकास के संस्थानों की रचना प्रस्तावित है। आइये, उद्योग-हित में शुरू किये गए इस प्रकल्प को हम सभी हमारे प्रयासों से सफल बनायें।

सादर आमंत्रण

सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र का भव्य लोकार्पण

मुख्य अतिथि
श्री जगदीप धनखड़ जी
माननीय उपराष्ट्रपति
भारत

मुख्य वक्ता
श्री (डॉ.) कृष्ण गोपाल जी
माननीय सह सरकार्यवाह
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

अध्यक्षता
श्री भजनलाल शर्मा जी
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

विशिष्ट अतिथि
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी
माननीय उद्योग एवं कौशल
विकास मंत्री, राजस्थान सरकार

दिनांक- 11 दिसंबर, 2024

समय- अपरान्ह 3 बजे
स्थान- स्पेशल-2, अपैरल पार्क, रीको औद्योगिक क्षेत्र
महल रोड़, जगतपुरा, जयपुर

विनीत

घनश्याम ओझा
अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती

ओमप्रकाश गुप्ता
महामंत्री
लघु उद्योग भारती

शांतिलाल बालड़
अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती, राजस्थान

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume - 8 Issue - 01 November, 2024

Editorial Board

■ **Patron**

Shri Ghanshyam Ojha, National President	098290-22896
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055
■ **Publisher**	
Om Prakash Mittal, Past President	094140-51265
■ **Editor**	
Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383
■ **Associate Editor**	
Mahendra Kumar Khurana	098290-68865
■ **Co-Editor**	
Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial 03-03
निवेश की नई ज़मीन तैयार करने की जिद .. 05-07
उद्यमी और उद्योगों का पलायन आखिर कब रुकेगा?... 08-09
अगर 70 फीसद एमओयू सिर्फ सौर ऊर्जा ... 10-10
लैंड रिफॉर्म्स से मरु प्रदेश बनेगा औद्योगीकरण ... 11-12
राज्य के खजिन ब्लॉक्स में एमएसएमई के लिये ... 13-13
नई नीतियों में परिलक्षित हो रहा है नया राजस्थान... 14-19
LUB's News in Brief ... 23-25

Price - 10/- *Life Membership 1000/-*

An In-House Monthly Magazine of Laghu Udyog Bharati
published by Om Prakash Mittal
Mail: opmittal10256@gmail.com Web : www.lubindia.com

Corporate Office & Head Office :
Plot No. 48, Deendayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110002
Ph.: 011-23238582

Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

Empowering MSMEs is Essential for India's Export Growth

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

It is believed that the recent initiative by the DGFT to collaborate with private players to develop export hubs and educate MSMEs on how they can develop their units as export hubs for the global markets is a timely and required step and realigns commitment to develop India as a global manufacturing hub and enhance our export capabilities.

The initiative will not only help MSMEs access to newer markets but will also help them address the hurdles that they face, be it in production, logistics, costs, or manufacturing. It is no secret that despite their economic significance, there are certain major pain areas for MSMEs which are restricting both them and the nation particularly from becoming a manufacturing hub for global brands. Key issues that need to be addressed include limited access to finance, bureaucratic red tape, compliance and regulatory issues, reluctance to go digital, relying on traditional methods, and a lack of skilled workforce to manage and operate the latest machinery.

Additionally, what have been also experienced is that with any initiative comes complex regulatory and compliance requirements, along with a general lack of understanding about any initiative itself. These challenges too significantly hinder the MSMEs to fully leverage the available opportunities. To overcome this, we need to provide clear and simple guidelines, offer support resources, reduce red tape to help small businesses to navigate the regulatory landscape effectively and utilise the initiatives offered, contributing to the growth of the economy.

It is essential that we develop and support an ecosystem that fosters a culture which encourages innovation and entrepreneurship with the MSME sector. There should be collaboration among MSMEs, knowledge sharing related to leveraging latest technologies such as - using artificial intelligence or automation in the manufacturing process, analytics for making data driven decisions or in the field of research and development and skill development can enhance their adaptability to changing market demands. Prioritising research, development, and skill enhancement will further position MSMEs to compete on a global scale and increase their export participation.

By taking these comprehensive steps, we can significantly boost the competitiveness of Indian MSMEs and pave the way for a thriving export sector. Small businesses, like our government, must also show their hunger to forge ahead.

I invite your opinions.

घरेलू और वैश्विक स्तर पर भजनलाल सरकार ने जीता निवेशकों का भरोसा 25 लाख करोड़ रूपए के रिकॉर्ड एमओयू

Osaka Investor Meet (Japan) - 13 Sept, 2024

Tokyo Investor Meet (Japan) -11 Sept, 2024

Munich Investor Meet (Germany) - 15 Oct, 2024

London Investor Meet (UK) - 17 Oct, 2024

Seoul Investor Meet (South Korea) - 09 Sept, 2024

Singapore Investor Meet - 08 Oct, 2024

Riyadh Investor Meet (Saudi Arabia) - 04 Nov, 2024

Delhi Investor Meet - 30 Sep, 2024

Mumbai Investor Meet - 30 Aug, 2024

Pravasi & Industrial Meet, Ranchi- 28 Sept, 2024

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट-2024

निवेश की नई ज़मीन तैयार करने की ज़िद

राजस्थान में देश-विदेश से निवेश और रोजगार सृजन के लिए 9 से 11 दिसंबर को तीन दिवसीय राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े सूबे में निवेश को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी प्रयास किये, लाखों-करोड़ के एमओयू एक्सचेंज हुए, लेकिन उनमें बहुत से धरातल पर कोई आकार नहीं ले पाए। इस बार भजनलाल सरकार ने ये बीड़ा उठाया है जिसमें 25 से 30 लाख करोड़ तक के रिकॉर्ड एमओयू होने के आसार हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार ये एमओयू होंगे असरकार?

वाइड एंगल

डॉ. संजय मिश्र
को-एडिटर, उद्योग टाइम्स
dr.sanjay.jpr@gmail.com

तो एक बार फिर, राजस्थान की सरकार ने देसी-विदेशी पावणों और निवेशकों के लिए जयपुर में रेड कारपेट बिछा दिया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट देश की सरहदों के बाहर भी चर्चा में है। तीन दिवस तक चलने वाला ये आयोजन प्रदेश की भजनलाल सरकार की साख का सवाल बन गया है।

पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, आईटी, खनन, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी नामी-गिरामी कंपनियों और करीब 32 देशों के प्रतिनिधियों समेत 250 वीवीआईपीज जमावड़े के साथ इस समिट का आगाज स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे जो दुनियाभर में विकसित भारत की परिकल्पना के प्रबल पैरोकार हैं और उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध भारत की तस्वीर बुनने की शुरुआत की है, वो इसी तरह के आयोजनों की सफलता पर निर्भर है। इसलिए मुख्यमंत्री इस समिट से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं जिससे ये समिट सफलता पूर्वक संपन्न हो सके।

इस समिट में 16 देश पार्टनर और इतने ही प्रतिभागी देशों की सूची में शामिल हैं जिससे ये तो जाहिर है कि सरकार ने मिशन मोड पर इस समिट के लिए कार्य किया है और देखना अब ये है कि जो निवेश प्रस्ताव आये हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के क्रियान्वित किया जा सके।

साल भर पहले जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो पहली ही बार में विधायक और फिर मुख्यमंत्री बने श्री भजनलाल शर्मा पर विपक्ष ने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवहीनता के नाम पर कई सवाल खड़े किये। और जब लोकसभा

" माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत का अपना विजन दिया है। देश की समृद्धि के लिए इस ब्लूप्रिंट में सतत विकास, तकनीकी उन्नति और समावेशी समृद्धि शामिल है।

राज्य ने 'विकसित भारत - विकसित राजस्थान' के विजन को साकार करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है और हमने अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक कार्य योजना तैयार की है। मैं आने वाले वर्षों में राज्य के इस दूरगामी आर्थिक परिवर्तन के सबसे बड़े लाभार्थियों के रूप में हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचितों को देखता हूं।

हम इस बात को पहचानते हैं कि निजी क्षेत्र राज्य को इस विकास पथ पर आगे बढ़ाने में सहायता करने में क्या भूमिका निभा सकता है। हम व्यापार करने में आसानी में वृद्धि के लिए नीतिगत माहौल में व्यापक बदलाव पर काम कर रहे हैं।

मैं आप सभी को उभरते राजस्थान की इस ऐतिहासिक विकास कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। "

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

में पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से कई सीटें खो दी, तो विपक्ष के हमले और तीखे हुए। लेकिन हाल ही में प्रदेश में संपन्न विधानसभा के उप चुनावों में भाजपा को मिली शानदार बढ़त से मुख्यमंत्री का मनोबल बढ़ा है क्योंकि उन्होंने इस जीत से अपने राजनीतिक कौशल और दक्षता को साबित कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक कौशल की परीक्षा अभी बाकी है और वो राइजिंग राजस्थान के आयोजन और निवेश प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन पर टिकी है।

इस बार की इन्वेस्टमेंट समिट कई मायनों में खास है। घरेलू मोर्चे पर सरकार को निवेश के अच्छे प्रस्ताव मिले, तो वहीं एशिया और यूरोप के कई विकसित राष्ट्रों ने भी राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखाई। इस आयोजन में कई देश सहयोगी एवं प्रतिभागी देशों के रूप में जुड़े हैं जो आज तक प्रदेश के किसी भी आयोजन की सबसे बड़ी संख्या होगी।

इसी तरह निवेश के भी जो रिकॉर्ड प्रस्ताव आ रहे हैं वो भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश के विकास के लिए उनकी दूरदृष्टि, संकल्पित ठोस कार्ययोजना, समर्पित भावना और ईमानदार छवि को श्रेय जाना चाहिए।

थोड़ा पीछे जाएँ, तो वर्ष 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार में बतौर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और निवेश के लिए बड़ी पहल की और 'रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' का आयोजन किया। उस समय करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किये गए। उनके बाद कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले श्री अशोक गहलोत ने 2022 में 'इन्वेस्ट राजस्थान समिट' का आयोजन किया जिसमें 11.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किये गए। और अब दो वर्ष के भीतर फिर से 'राइजिंग राजस्थान' के नाम से समिट आयोजित की जा रही है जिसमें 25 लाख करोड़ के रिकॉर्ड एमओयू साइन किये जा चुके और करीब पांच लाख करोड़ तक के और होने की सम्भावना है, यानी 30 लाख करोड़ रुपये तक ये आकड़ा पहुँच सकता है जो राजस्थान के इतिहास में एक नया बेंच मार्क होगा।

सरकारों की प्राथमिकता में उद्योग क्यों नहीं?

प्रदेश में औद्योगिक विकास के मामले में पूर्ववर्ती सरकारों का रवैया बहुत बढ़िया नहीं रहा है। बल्कि कहना ये चाहिए कि सरकारों की प्राथमिकता में उद्योग कभी रहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राजस्थान कैसे बन जाता!

राजस्व अर्जन का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करने में दोनों ही राष्ट्रीय दलों की सरकार नाकाम रही हैं। इसीलिए जीएसटी कलेक्शन की तुलना में तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से राजस्थान पिछड़ गया है। बड़ी हैरत की बात है कि विकास के पायदान पर पिछड़े हुए ओडिशा जैसे प्रदेश से भी जीएसटी कलेक्शन के मामले में राजस्थान कमजोर साबित हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु में राजस्थान से 2 गुना और महाराष्ट्र में 6 गुना अधिक जीएसटी कलेक्शन रहा है। इससे तस्वीर साफ़ हो जाती है कि यहां सरकारों का फोकस कितना रहा होगा उद्योगों को पनपाने में।

इसी तरह से अगर पर-कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, तो ये अंतर साफ़ नजर आता है कि देशभर में राजस्थान की जगह अभी काफी पीछे है। प्रति व्यक्ति आय में हमारा प्रदेश पंजाब, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडू, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और सिक्किम से

" हमारा दृढ़ विश्वास है कि साझेदारी बनाने और निजी क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करने से हम जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और राजस्थान में बड़े पैमाने पर रोजगार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पैदा करने में सक्षम होंगे।

सरकार के कार्यकाल के पहले ही वर्ष में निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने का माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय नीति के साथ-साथ कार्रवाई में भी निवेशक फोकस को संस्थागत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इस प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में वृद्धि, कौशल विकास और निवेशक यात्रा और अनुभव की पुनर्रचना में आगे बढ़ाया जा रहा है।

हम इस निवेश शिखर सम्मेलन को आपके साथ एक महत्वपूर्ण संवाद और प्रतिक्रिया के अवसर के रूप में भी देखते हैं जो हमारे भविष्य के सुधार एजेंडे का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मैं आप सभी को राज्य में अपने व्यवसाय और निवेश-हितों को आगे बढ़ाने के लिए राइजिंग राजस्थान टीम के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। "

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
उद्योग और वाणिज्य मंत्री, राजस्थान

भी पिछड़ गया है। तो यहाँ ये बात सीधे तौर पर समझ में आती है कि जिस प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां कम हुई हैं, और उद्यमिता के अन्य आयामों पर भी काम नहीं हुआ है, तो वहां की प्रति व्यक्ति आय भी अपेक्षाकृत कम ही हो जाती है, जिससे गुणवत्तापरक जीवन (क्वालिटी ऑफ लाइफ) भी प्रभावित होता है और जीवन की अन्य परिस्थितियां भी इससे अलग नहीं रह पाती।

राइजिंग राजस्थान की टैगलाइन रखी गई है Replete Responsible Ready अंग्रेजी के इन तीन शब्दों का भारी भरकम अर्थ है परिपूर्ण, जिम्मेदार या उत्तरदायी और तैयार या तत्पर। काश, इन शब्दों को आयोजक एजेंसी बीआईपी और उससे जुड़े लोग पहले समझ लेते, तो राज्य में निवेश का ये हाल तो नहीं होता। इस समिट के लिए सरकार ने अपने काबिल जनसम्पर्क कर्मियों की बजाय कारपोरेट घरानों के लिए काम करने वाली बड़ी एजेंसी पर ज्यादा यकीन किया और कंटेंट आदि कार्य के लिए उसे करोड़ों का भुगतान किया। हालांकि इस एजेंसी के कार्मिकों के काम की मॉनिटरिंग और कभी पूरे काम को भी डीआईपीआर से जुड़े प्रोफेशनल्स को करना पड़ा।

'बुरोकरसी' के भरोसे क्या निवेश की नैय्या होगी पार?

एमओयू के सफल क्रियान्वयन का काम बीआईपी की जगह स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाये

यही वास्तविक एकल खिड़की का भी कार्य करेगी

भारतीय नौकरशाही के बारे में दुनिया के प्रसिद्ध चिंतक पीटर ड्रकर ने कहा था -'They hide their ignorance under cover arrogance.' अर्थात 'वे अहंकार की आड़ में अपनी अज्ञानता छिपाते हैं।' अज्ञानता ही नहीं, वो सच्चाई भी जो आप उनसे जानना चाहते हैं। कोई भी उनसे सवाल पूछे, ये उन्हें गवारा नहीं। राजस्थान भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है। कैसी विडंबना है कि प्रदेश की सरकार निवेश कार्यक्रम बनाती है, अफसरों की पूरी टीम इस काम में लगती है, एमओयू होते हैं लेकिन सरकार दर सरकार बदलती जाती है, लेकिन सूबे की औद्योगिक तस्वीर और लोगों की तकदीर नहीं बदलती।

ऐसे आयोजन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, अफसरों का पर्यटन भी हो जाता है, लेकिन भारी-भरकम खर्च के बाद भी निवेश पूरी तरह से धरातल पर नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती। राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात की पहल करनी होगी कि बीते निवेश शिखर सम्मेलनों की समुचित समीक्षा कर सम्बद्ध अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाये और हाल-फिलहाल जो एमओयू हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग से सरकारी नौकरशाही को बिलकुल अलग किया जाए और निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को केवल इसी उद्देश्य के लिए टास्क दिया जाये। इस टास्क फॉर्स को इतना सशक्त बनाया जाए जिससे कोई भी विभाग अनावश्यक समय ख़राब न कर सके और इसकी सीधी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री करें। पिछले बेहद खराब रिकॉर्ड को देखते हुए बीआईपी (ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) को सिर्फ एमओयू आमंत्रित करने तक का ही कार्य दिया जाये। इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र एजेंसी कार्य करें, वही वास्तविक एकल खिड़की का भी कार्य करेगी।

उद्यमियों की ये खुली शिकायत रही है कि अक्सर अफसरों का रवैया बहुत अच्छा नहीं होता जब प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन की बारी आती है. इससे एग्जीक्यूशन पार्ट से इन्हें दूर रखना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। सरकार को इसके लिए कठोर और युगांतकारी कदम उठाने होंगे। ☐☐☐

" MSME हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के कुल निर्यात में 45 - 50% योगदान के साथ सामाजिक समानता, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन में MSME सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से राज्य में आने वाले निवेश MSME क्षेत्र के लिए वरदान साबित होंगे।

सामान्यत: वित्तीय कमी से जूझते MSME सेक्टर के लिए यह व्यवसाय के विस्तार, आधुनिकीकरण और नवाचार हेतु धन जुटाने का अवसर होगा। देश-विदेश से आने वाले बड़े उद्योगों से साझेदारी MSME को व्यापक सप्लाई चैन और अंतर्राष्ट्रीय बजारों से जुड़ने का मौक़ा देगी। इसके साथ ही इंडस्ट्री 4.0 के दौर की तकनीकों यथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग के लाभ मिलने से यह सेक्टर नयी ऊँचाइयाँ प्राप्त करेगा।

नव तकनीकी समावेश से अकूत खनिज सम्पदा के धनी, राज्य के खनिज संसाधनों के उचित और सस्टेनेबल दोहन एवं प्रसंस्करण से राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ चहुँमुखी विकास होगा। "

केके विश्नोई

उद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार

उद्यमी और उद्योगों का पलायन आखिर कब रुकेगा?

मरुधरा की कोख से पैदा हुए सैकड़ों उद्यमियों ने दुनियाभर में सफलतापूर्वक उद्योगों का संचालन किया, लेकिन उनकी मातृभूमि उद्योगों से वंचित ही रही

प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव

राजस्थान अपनी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विलक्षणताओं के लिए पूरी दुनिया के लिए लम्बे समय से एक अबूझ पहेली बना रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और खास तौर पर यूरोप के कई देशों के पर्यटक जब भारत की सैर के लिए अपने देश से प्रस्थान करते हैं, तो उनकी आइटनरी में राजस्थान के कई हिस्से जरूर सम्मिलित रहते हैं। वे यहाँ की सेठ-साहूकारों की पुरानी हवेलियों के भित्ति चित्रों और राजे-रजवाड़ों के दुर्ग-किलों को देखना पसंद करते हैं, तो रंगों से भरी यहाँ की संस्कृति और सादा जीवन को कुछ समय के लिए जीने की भी ख्वाइश रखते हैं। कई-कई बार तो वे आते हैं और यहीं अपना डेरा लगा लेते हैं काफी समय के लिए।

इसी राजस्थान के शेखावाटी और मारवाड़ ऐसे दो अंचल हैं जिनमें सीकर, झुंझुनूं, चूरू और जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर आदि जिलों का क्षेत्र आता है। मौटे तौर पर देश के दिग्गज उद्योगपति अधिकांश इसी क्षेत्र से आते हैं लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरे प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाये, तो ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि इस मरू प्रदेश का बाशिंदा वाणिज्यिक सोच और उद्यमिता के मामले में शेष भारत से बहुत आगे रहा है। यहाँ के पुरखों ने बहुत पहले ही विदेशियों से व्यापार शुरू किया था। कॉटन, चांदी और अन्य वस्तुओं की मंडियों में यहाँ के व्यापारियों की धाक रहती थी।

पधारो थारे देश...

बिरला, रुइया, बजाज, मोदी, तोदी, पीरामल, सिंघानिया और आर्सेलर के मालिक स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे बहुत सारे वे नाम हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के उद्योग जगत में राजस्थान की ख़ास पहचान बनाई। कहते हैं यहाँ के पानी में ही वो तासीर है जिसने अपने उद्यमियों को किसी भी विकट परिस्थिति का हल निकालने में उन्हें माहिर बना दिया है, लेकिन उनकी अपनी मातृभूमि औद्योगिक विकास को तरसती रह गई।

अब यहां सवाल ये उठता है कि मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे प्रदेशों में ऐसा क्या है जो राजस्थान में नहीं है या नहीं हो सकता? ये समझने की जरूरत है। राजस्थान में बहुत सीमित संख्या में बड़े उद्योगों की उपस्थिति है और इसके पीछे की कमजोर कड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया जाता है। लेकिन बहुत-सी बार सरकार की शिथिलता और नाकामी की वजह से निवेश के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता।

इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि कुछ बरसों पहले ग्लास बनाने वाली बड़ी कंपनी ने भीलवाड़ा के पास जब अपना प्लांट लगाने की कोशिश की, तो स्थानीय राजनीति और स्वार्थी तत्वों ने उसे खदेड़ दिया। अगर तत्कालीन सरकार ने

निवेशक की मदद की होती, तो वहां हमारे प्रदेश के हजारों लोग काम कर रहे होते। वही कंपनी मध्यप्रदेश के रतलाम में आज सफलतापूर्वक काम कर रही है। यहाँ के शासन और नौकरशाही को जरा भी दर्द नहीं हुआ कि मेरे प्रदेश से एक बड़ा उद्योग चला गया।

इसके विपरीत दूसरा उदाहरण भी हमें देखना चाहिए कि हरियाणा में मारुति उद्योग को उखाड़ने की जब कोशिश की गई, तो कंपनी के सामने एक ही विकल्प था गुजरात। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने वहां से फैक्ट्री को शिफ्ट करने का पूरा मन बना लिया था, तभी वहां की सरकार को ये समझ में आ गया कि अगर मारुति जैसा सयंत्र यहाँ से चला गया, तो उससे जुड़ीं हजारों की संख्या में एनसीलियरीज भी उजड़ जाएँगी। और सरकार को मिलने वाला मोटा रेवेन्यू भी ख़त्म हो जायेगा। आखिरकार मारुति को सरकार ने अपनी सूझबूझ से वहीं रोक लिया।

उद्यमी के निवेश की गारंटी लेनी होगी सरकार को

प्रदेश के प्रसिद्ध उद्यमी श्री राजेश अग्रवाल कहते हैं कि प्रदेश में निवेश नहीं आने के पीछे सबसे बड़ी वजह है राज्य में हर पांच साल में सरकार का बदल जाना। राजनीतिक रूप से तो लोग इसे अच्छा बता सकते हैं, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए ये प्रवृत्ति बहुत घातक सिद्ध हो जाती है। क्योंकि ऐसे में कोई भी उद्यमी अगर उद्योग में अपना सौ- पांच सौ करोड़ रुपया निवेश करदे,

और जब तक प्रोजेक्ट उसका शुरू हो, उससे पहले सरकार किसी दूसरे दल की बन जाए, और नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को बदल दे, या बंद ही कर दे, तो उसके निवेश पर संकट भी आ सकता है। इसलिए सरकार को उद्यमी को भरोसा देना होगा और उसकी पाई-पाई की गारंटी लेनी होगी। उद्यमी को बताना होगा कि चाहे किसी भी दल की सरकार आए, लेकिन उनको किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ऐसा होता रहा है। कई बार लोकप्रिय और जन हितैषी योजनाओं को भी सरकार बदलने के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान में स्थानीय मुद्दों को बहुत ज्यादा तूल दे दिया जाता है, और ऐसे में स्थानीय राजनीति के कारण सबसे पहले उद्योगों पर गाज गिरती है।

सरकार एकल खिड़की के लिए ऐसी एजेंसी बनाए, जो ऑटोनोमस हो और उस पर अधिकारियों का कोई अंकुश न हो, तभी उद्यमियों के लिए निवेश का माहौल बनेगा। वरना ऑफिसों के चक्कर काटकर उद्यमी निवेश करने का इरादा छोड़ देता है। ☐☐☐

सिंगल विंडो केवल कागजों में है, धरातल पर कहीं नहीं

जीएसटी विशेषज्ञ और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे श्री

गोविंद राम मित्तल प्रदेश में उद्योगों का समुचित विस्तार न होने के पीछे का कारण मानते हैं लैंड कन्वर्जन के बीच में आने वाले कई अवरोधों को। वे कहते हैं राजस्थान को छोड़कर कोई भी उद्यमी केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी राज्यों में क्यों जाएगा, अगर उनके साथ यहां अच्छा ट्रीटमेंट हो। राजस्थान का उद्यमी स्वाभिमानी है, अपने सम्मान को ठेस पहुंचा कर वो कोई काम नहीं करता। गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में व्यापारियों के साथ बेहतर तालमेल रखा जाता है।

इसके साथ ही कुछ सब्सिडीज को यहां व्यावहारिक तौर पर उद्यमी समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर ही नहीं पाता।

सिंगल विंडो केवल कागजों में है, धरातल पर कहीं नहीं है। बिजली की सस्ती और सहज उपलब्धता भी चुनौती है उद्यमी के लिए। क्योंकि राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज हैं कई तरह के, तो बिजली उद्योग तक पहुंचती हुई महंगी हो जाती है।

उद्योगों के लिए सरकार की ओर से जल आपूर्ति नहीं है। पॉल्यूशन क्लियरेंस बहुत महंगा और जटिल है। उद्यमी पर अनावश्यक कई नियम कानून थोपने और प्रताड़ित करने से भी यहां उद्योगों का संचालन आसान नहीं हो पाता।

इंडस्ट्री के लिए आधारभूत सुविधाएं और इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल के अभाव में भी विकास की गाड़ी अपनी स्वाभाविक गति नहीं पकड़ पाती।

यही नहीं, बेवजह के राजनीतिक दखल और स्थानीय लोगों के नकारात्मक रवैय्ये के कारण भी उद्योग स्थापित होने से पहले ही उखड़ जाते हैं। राजस्थान सरकार यदि इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास की तस्वीर बदल सकती है। ☐☐☐

अगर 70 फीसद एमओयू सिर्फ सौर ऊर्जा के खाते में हैं, तो 'उम्मीदों का सूरज' रोजगार कितना सृजित करेगा?

मंहगी बिजली के करंट से राजस्थान के उद्यमियों को उबारना होगा

राजस्थान की धरा पर भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा है। हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जहाँ खेती नहीं होती, न वो खेती योग्य है। ऐसी जमीन पर सोलर प्लांट सबसे मुफीद उद्योग हो सकता है। लेकिन यहाँ समझने की बात ये है कि सोलर के इन प्रोजेक्ट्स से प्रदेश में कितना रोजगार सृजित होगा और कितना रेवेन्यू सरकार को मिलेगा? ये मौजूं सवाल है।

धन-कुबेरों की नजर राजस्थान की बेशकीमती जमीन पर टिकी है और वे अपनी शर्तों पर अपने उद्योग लगाना चाहते हैं। देखना ये जरूरी है कि हमारी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को लेने के बदले प्रदेश को मिलता क्या है। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिला, और सरकार को भी मामूली सा रेवेन्यू हिस्से में आया, तो फिर ऐसे निवेश से किसका भला होगा?

लघु उद्योग भारती राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़ बताते हैं कि जितने लाखों-करोड़ के एमओयू हुए हैं, उनका सत्तर फीसद तो केवल सोलर के खाते में आने की संभावना है जबकि एक बार सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद नियमित रोजगार की उसमें बहुत संभावना नहीं होती। श्री बालड़ बताते हैं कि शुरुआती दौर में सोलर पैनल के साथ लगने वाले सपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ काम लघु उद्योगों के लिए निकलेगा और कुछ जीएसटी सरकार के खाते में जाएगी। सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलने की संभावना नहीं है। उसे केवल बिजली बेचकर ही राजस्व मिल सकता है जो उसे अनुमान के मुताबिक 3 रुपये प्रति यूनिट मिल सकेगी।

श्री बालड़ ने बताया कि प्रदेश के उद्यमियों की बिजली से संबंधित समस्याओं के स्थायी हल की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने इसके लिए तीन सुझाव भी बताए हैं।

1. वर्तमान में प्रदेश के उद्यमियों को कैप्टिव सोलर प्लांट के लिए कनेक्शन लोड से सौ फीसद ही छूट है। जब उद्यमी की अपनी खुद की जमीन है और अपने खर्चे पर वो प्लांट लगाना चाहे, तो इसकी स्वीकृति सरकार आखिर क्यों नहीं देना चाहती?

2. राजस्थान के उद्यमियों को अन्य पड़ोसी प्रदेशों पंजाब, गुजरात और मध्यप्रदेश आदि की अपेक्षा मंहगी दर पर बिजली क्यों दी जा रही है?

3. प्रदेश में उद्यमी को विविध कैटेगरी में कनेक्शन दिए जा रहे हैं- एचआईपी में 25 किलोवॉट, एमआईपी फर्स्ट में 60 किलोवॉट, एमआईपी सेकंड में 150 किलोवॉट और इससे ऊपर की जरूरत के लिए एसटी कैटेगरी में कनेक्शन दिया जाता है। HIP में 50kw, MIP-1 में 125kw, MIP-2 में 250kw और ST कैटेगरी में 250kw से ऊपर के कनेक्शन प्रदान किए जाने चाहिए। अब बदली हुई परिस्थितियों में मशीनरी और तकनीक दोनों ही बदल गई है, बिजली की जरूरत भी बढ़ गई है फिर भी बीते पचास बरसों से वही व्यवस्था चली आ रही है, जिसे क्यों नहीं बदला जा रहा?

जब भी कोई उद्यमी अपना छोटा-मोटा उद्योग शुरू करता है, तो उसे जमीन, कनेक्टिविटी और रॉ मटेरियल के साथ बिजली की आवश्यकता रहती ही है। वह बिजली कनेक्शन के लिए विभाग के पास जाता है और उसे टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाता है। जबकि वो गुहार लगाता है कि टेम्परेरी में उसे अनावश्यक रूप से 12 रुपए यूनिट से चुकाने पड़ेंगे जबकि परमानेंट कनेक्शन में 9 रुपये के आसपास ही। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। □□□

लैंड रिफॉर्म्स से मरु प्रदेश बनेगा औद्योगीकरण में सिरमौर!

सारा खेल जमीन का ही है, इसलिए उसके आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी और उद्योग-हितैषी बनाना होगा

लघु उद्योग भारती के बैंकिंग एवं इंश्योरेंस आयाम के राष्ट्रीय प्रभारी एवं पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम का मानना है कि प्रदेश में भूमि सुधार नियमों के सरलीकरण से उद्योगों को आकर्षित करना बहुत आसान हो सकता है बशर्ते औद्योगीकरण के लिये भूमि चिन्हित करना, वहाँ भूमि का डीम्ड कन्वर्जन, कनेक्टिविटी, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार अपना दायित्व समझे।

उन्होंने पड़ौसी राज्य गुजरात का उदाहरण देकर बताया कि वहां पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) विकसित कर रखे हैं। यहाँ चिन्हित की गई जमीनेवहां की स्थानीय आबादी, पर्यावरण और अन्य पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं।

खास बात ये है कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों में होने वाले प्रदूषण के मद्देनज़र विविध विनिर्माण के लिये रीजन बने हुये हैं उनके अनुसार उद्यमी अपने उद्योग के लिए जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ भूमि रूपान्तरण के लिए सरल प्रक्रिया है। भूमि के रीजन बनते समय ही वहाँ लगने वाले उद्योगों के लिये डीम्ड परमीशन का प्रावधान रखा गया है इस कारण पोल्यूशन एनओसी आदि के लिये भी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। वहाँ इन रीजन्स की आवश्यक कनेक्टिविटी का दायित्व भी सरकार का है।

अगर निवेश प्रस्ताव बिजली की ज्यादा खपत करने वाले उद्योगों के रीजन के लिए है, तो विद्युत सप्लाई के लिये ग्रिड आदि की समुचित व्यवस्था सरकार ही करके देती है।

जहां तक भूजल के उपयोग की बात है, तो उद्योगों के लिए 10 केएलडी प्रतिदिन जल काम में लेने की तो स्वीकृति है ही, साथ ही नहरों, तालाबों से भी जल की समस्या का निदान किया जाता है। इसी तरह सोलर एनर्जी में भी बहुत ही व्यावहारिक नियम बनाये गए हैं जिससे एक उद्यमी दूसरे के कैप्टिव सोलर प्लांट से अपनी जरूरत की बिजली ले सकता है।

श्री गौतम ने बताया कि राजस्थान में एक एकड़ निजी भूमि पर उद्योग लगाने के लिये डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था है, लेकिन यह प्रावधान बैंक, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड आदि स्वीकार नहीं करते। उनके द्वारा तहसीलदार से एनओसी की मांग की जाती है। इस विसंगति को दूर करने के साथ ही यहाँ गुजरात की तर्ज पर भू राजस्व कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है।

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरपर्सन और सफल उद्यमी श्री दिग्विजय ढाबरिया मानते हैं कि प्रदेश में निवेश के लिए समिट का आयोजन बहुत अच्छी पहल है। लेकिन ये भी कहते हैं कि यहाँ उद्योग क्यों नहीं पनपते, इसकी तह में जाने की जरूरत है। दरअसल उद्योगों में सारा खेल जमीन का ही है और राजस्थान के हिस्से में भी सिर्फ जमीन ही तो है आज।

वे कहते हैं कि **जब भी औद्योगीकरण की बात आती है, तो हम अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं, लेकिन हम उससे सीखते कितना है? सवाल ये है तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि मशीन, शेड और डिजाइन सभी की दस वर्षों में स्क्रैप वैल्यू हो जाती है। उद्यमी आज इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर की समस्या से जूझ रहा है, इस पर डबल इंजन की सरकार को ध्यान देना होगा।**

श्री ढाबरिया बताते हैं कि चीन में सरकार उद्यमी को उसके उद्योग की जरूरत के मुताबिक जमीन बहुत ही आसान प्रक्रिया से दे देती है और उससे 15 साल बाद उसकी पूरी कीमत वसूलती है। इतने समय में उद्यमी भी उद्योग से मुनाफा कमाने की स्थिति में होता है और वो बिना किसी समस्या के सरकार को जमीन का मूल्य चुका देता है। उससे पहले उसका ब्याज वो जमीन आवंटन के शुरू से चुका रहा होता है।

इसके बरक्स भारत की और राजस्थान की बात करें, तो उद्यमी के लिए जमीन ही जी का जंजाल बन जाती है। उसे जमीन के साथ कनेक्टिविटी और दूसरे कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। जमीन को चिन्हित करने के बाद उसे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी उसे क्लियर कराना पड़ता है जो कि

आसान काम नहीं होता। रीको के अधिकारियों के लिए भी एनजीटी कई बार सिर दर्द बन जाता है, तो फिर निजी औद्योगिक क्षेत्र में तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है।

श्री ढाबरिया कहते हैं कि सारा खेल तो जमीन का ही है, इसलिए उसके आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी और उद्योग हितैषी बनाना होगा। उन्होंने उदाहरण से बताया कि 40-50 बरसों पहले बने इंडस्ट्रियल एरिया अब घनी आबादी क्षेत्र में आ गए हैं जैसे जयपुर में 22 गोदाम सुदर्शनपुरा। इससे दो तरह की परेशानी बढ़ी है। पहली तो आबादी में ट्रकों की आवाजाही को सीमित और कई जगह पर लगभग बंद-सा कर दिया गया है, जबकि वो इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। दूसरा उसमें कई तरह की कॉमर्सिअल गतिविधियां भी शुरू हो चुकी होती हैं। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल, दुकानें क्या कुछ नहीं हैं? लिहाजा उद्यमियों को अपने प्लॉट कमर्शियल रेट पर बेचने की अनुमति दी जाये, जिससे उद्यमी किसी दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू कर सकें। और उस एरिया को कन्वर्ट कर रेसिडेंसियल और कमर्शियल कैटेगरी में ही रख दिया जाये। इसके साथ ही ये नियम बने कि 40 वर्षों बाद सभी इंडस्ट्रियल एरिया स्वतः ही वे कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट हो जाएं। इससे उद्यमी को ब्रीदिंग स्पेस मिल सकेगा। श्री ढाबरिया ने इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्शन की प्रक्रिया को उद्योग हित में नहीं बताया। ☐☐☐

राजस्थान के औद्योगिक विकास के उदय का सही समय

पांच दशकों पहले के काल खंड में लगभग समान जीडीपी होने के बावजूद चीन भारत से बहुत आगे निकल गया

अभिव्यक्ति

घनश्याम ओझा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती

प्रदेश में प्राकृतिक और जन संसाधन दोनों की कोई कमी नहीं। दोहन के लिए अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में राज्य के बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस करने की दिशा में प्रयास कभी नहीं किया। इसलिए चाहे वो कृषि से जुड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो या अन्य खनिजों से जुड़ी, सभी के लिए रोड मैप बनाकर, उनके क्लस्टर तैयार किये जाएँ, तो निश्चित तौर पर से दोहरा लाभ प्रदेश को मिल सकेगा। यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे युवा नौकरी के लिए अन्य प्रदेशों में नहीं भटकेंगे और खराब वर्किंग कंडीशन में भी काम करने को मजबूर नहीं होंगे।

सरकार की मशीनरी एक जैसी सोच और समझ से कार्य करती है. उनमें बदलाव तभी आता है जब राजनीतिक नेतृत्व बदलता है और उसकी भी इच्छाशक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आज प्रदेश के सिस्टम में ड्राइविंग सीट पर भजनलाल जी हैं तो सिस्टम एक्टिव हो गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को समझकर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। और प्रदेश के लोगों में उम्मीद जगी है कि आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के लिए उद्योगों की स्थापना यहाँ होगी।

नेतृत्व कितना अहम भूमिका निभाता है वो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 1970 के दशक में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर ही थी 190 बिलियन डॉलर के आसपास जो आज राजस्थान की है। लेकिन बीते पचास वर्षों में चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। वो आज 18 ट्रिलियन डॉलर पर पहुँच गया और हम खड़े हैं 4 ट्रिलियन डॉलर पर वो भी पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से।

आज पोर्टल पर सरकार ने क्या उल्लेख कर रखा है ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में, वो मायने नहीं रखता। बल्कि वो हमारे सिस्टम के कमिटमेंट में दिखाई देना जरूरी है।

लघु उद्योग भारती के लिए उद्योग-हित ही राष्ट्र-हित भी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए हम राजस्थान सरकार को आश्वस्त करना चाहते हंत कि एमएसएमई कॉन्क्लेव ही नहीं, प्रदेश में उद्योगों के विकास से जुड़े किसी भी कार्य को संगठन पूरी निष्ठा से करेगा। आज सरकार ने जो बड़े उद्यमियों के लिए पलक-पावड़े बिछाए हैं, वो काम अगर लघु उद्योगों और हमारे एमएसएमई के लिए भी हो जाये, तो प्रदेश की औद्योगिक परिस्थितियां बिलकुल बदल जाएँगी।

मैं इस समिट में शामिल होने आ रहे सभी उद्यमियों का संगठन की ओर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आयोजन की पूर्ण सफलता के लिए शुभकामनाएं। ☐☐☐

राज्य के खजिन ब्लॉक्स में एमएसएमई के लिये आरक्षित आवंटन सुनिश्चित करे सरकार

कैमिकल ग्रेडलाईन स्टोन के ब्लॉक्स का आवंटन सीमेंट कंपनियों के लिए बंद होना चाहिए

लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रान्त अध्यक्ष व खनन उद्योग से जुड़े उद्यमी श्री महावीर चोपड़ा कहते हैं कि देश में झारखण्ड के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा प्रदेश है जिसमें खनिजों का विविधतापूर्ण भण्डार है। प्रदेश में 80 प्रकार के खनिज पाये जाते हैं जिसमें से 50-55 खनिजों का नियमित तौर पर खनन होता है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ के बाद राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां खनिज की उपलब्धता सर्वाधिक है जिसमें सीसा, जस्ता, वोलस्टोनाईट, सेलेनाईट, जिप्सम, वॉलक्ले, फास्फोरस, केलसाईट फायर क्ले प्रमुख हैं। इसके साथ ही सैण्ड स्टोन, संगमरमर और ग्रेनाईट उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है राजस्थान। सीमेन्ट और स्टील उत्पादन में उपयोगी लाईम स्टोन भी बहुतायत में यहां मिलता है जो पूरे भारत के हर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है।

इसी तरह जिप्सम का करीब 90 फीसदी उत्पादन अकेले राजस्थान में ही होता है जो खेती में विशेषकर तिलहन और दलहन, गेहूं की गुणवत्ता को सुधारने, कंस्ट्रक्शन ग्रेड का पीओपी, जिप्सम बोर्ड एवं फार्मास्यूटिकल्स में थर्मोहब थेरेपी के लिये काम आता है।

इस कड़ी में बेन्टोनाईट का भी नाम आता है जो अपनी बाईडिग पावर के साथ तेल के कुओं, कास्ट आयरन में मोल्ड बनाने, पालन्स फाउंडेशन में, कोल माईन्स से निकलने वाली डस्ट के साथ मिलाकर ब्रिकेट्स बनाने और कॉस्मेटिक में भी उपयोग होता है।

वोल्सटोनाईट और चाईनाक्ले भी राजस्थान में मिलता है जो पेंट, सीमेन्ट और सिरेमिक इण्डस्ट्री में काम आता है और राजस्थान से हजारों टन गुजरात के मोरबी में सप्लाई होता है जहां टाईल्स व सिरेमिक आईटम बनाने में काम लिया जाता है। अभ्रक, चांदी, ताम्बा, यूरेनियम और थोरियम भी इस मरूधरा के गर्भ से निकलते हैं जो एमएसएमई और बडे उद्योगों में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त लिग्नाईट भी बड़ी मात्रा में निकलता है। राज्य के खनिज ब्लॉक्स में एमएसएमई के लिये रिजर्व आवंटन सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन निम्न सुझावों और सुधारों से संभव है -

1. खनिज उद्योग संचालन में बड़ी जमीन प्लान्ट व कच्चा माल रखने के लिये आवश्यक है। जमीन हमारे यहां अन्य राज्यों से मंहगी है इसे सस्ता करने पर उद्योग भी अधिक लग सकेंगे व बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होंगे।
2. खनिज उद्योग विकास के लिये अनुसंधान (आर एण्ड डी) की व्यवस्था बढानी चाहिए।
3. सिरेमिक टाईल्स व खनिज आधारित उद्योग को पनपाने के लिये बिजली की उपलब्धता कम दरों पर की जाये।
4. खनिज उद्योगों को विकसित करने हेतु विकल्प के रूप में औद्योगिक गैस वितरण नेटवर्क बनाया जाए।
5. राजस्थान के अधिकतम जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, यहां भी हम अपने गांवों में उद्योग स्थापित कर सकते हैं इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और श्रमिकों को काम के लिये अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा।
6. माईनिग विभाग की जटिलताओं को खत्म कर खान आवंटन, संचालन, पर्यावरण स्वीकृति, विवरणी प्रस्तुति की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
7. कुछ खनिज जैसे कैमिकल ग्रेड, लाईन स्टोन, जिप्सम आदि के एरिया को एमएसएमई के लिये आरक्षित करने से छोटे उद्योगों का भविष्य सुरक्षित होगा।
8. राजस्थान स्टेट माईन्स व मिनरल्स् की खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित व निरन्तर करने की अपेक्षा है जिससे एमएसएमई उद्योग को पर्याप्त कच्चा खनिज प्राप्त हो सके। □□□

लघु उद्योग भारती के सदस्य उद्योग मित्र बन सरकार और उद्यमियों के बीच सेतु का कार्य करेंगे

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव और राइज़िंग राजस्थान समिट के कार्यक्रम में संगठन की ओर से सरकार के साथ समन्वय कर रहे श्री नरेश पारीक कहते हैं कि उद्योग से जुड़ी सरकार की बहुत-सी नीतियां, नियम और विभाग होते हैं। जब भी कोई युवा उद्योग लगाना चाहे, तो उसे सारी प्रक्रियाओं से तो गुजरना होता ही है। और उस समय अगर उसे किसी भी विभाग में कोई परेशानी आई, तो वो उस कार्य को बीच में भी छोड़ सकता है। ऐसा पहले कई बार हुआ है। कई बार तो बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ये हो जाता है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए संगठन की ओर से सरकार को औपचारिक सुझाव दिया गया है कि जिन सदस्यों को उद्योग संचालित करने का दीर्घ अनुभव हो, उन्हें उद्योग-मित्र के रूप में मान्यता दी जाये जिससे वे राज्य में निवेश करने के इच्छुक सभी उद्यमियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। इससे न केवल उद्यमी की समस्या का हल होगा, बल्कि राज्य से बाहर के निवेशकर्ता भी यहाँ निवेश के लिए अपना मन बनाएंगे।

श्री पारीक ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को हर तरह से सम्बल मिलना चाहिए। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और निवेशकर्ताओं का सहयोग करने के लिए लघु उद्योग भारती से जुड़े सभी सदस्य तत्पर हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अगर चाहेगी, तो इस समिट के बाद प्रस्तावित सभी निवेश प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में भी संगठन का सतत सहयोग रहेगा। □□□

एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा ऐतिहासिक आयोजन

प्रदेश से 7 हजार से अधिक उद्यमी लेंगे भाग

इन्क्यूबेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप सेल के युवा भी जुड़ेंगे

राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी निवेश कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत 11 दिसंबर को आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में 7 हजार से अधिक की संख्या में उद्यमी और यंग एंटरप्रेन्योर्स भाग लेंगे। ये जानकारी एमएसएमई कॉन्क्लेव के संयोजक श्री महेंद्र मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव की तैयारियों के सिलसिले में उद्योग विभाग में इसकी समीक्षा बैठक रखी गई जिसमें इंडस्ट्री कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता, सह संयोजक सीए योगेश गौतम और सहायक संयोजक श्रीमती अंजू सिंह ने कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपडेट लिया। श्री मिश्रा ने बताया कि 25 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू अभी तक हो गए हैं और ये अगर धरातल पर आकार लेते हैं, तो प्रदेश के लघु उद्योगों की भी इसमें हिस्सेदारी होगी।

एमएसएमई कॉन्क्लेव के संयोजक श्री महेंद्र मिश्रा ने बताया कि उद्यमियों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और उसे ध्यान में रखकर आयोजन स्थल जेईसीसी में करीब 5 हजार उदयमियों की बैठने की व्यवस्था के साथ बाहर भी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएँगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से विश्व विद्यालयों में संचालित इन्क्यूबेशन सेंटर्स से जुड़े यंग एंटरप्रेन्योर भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। □□□

लघु उद्योग भारती के सदस्यों ने अपने खर्चे से लगाए होर्डिंग

राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के आयोजन की पब्लिसिटी व्यापक स्तर पर की है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया। लेकिन बीते तीन दशकों से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उत्थान के माध्यम से राष्ट्र हित की साधना में अग्रसर लघु उद्योग भारती के सदस्यों ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर पूरे राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट के प्रचार और प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए संगठन की इस भावना और कार्य की देश भर में चर्चा है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि हमारे सदस्य मिशन वाले हैं, कमीशन वाले नहीं। संगठन के कार्यकर्त्ता बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और संगठन का गौरव हैं।

नई नीतियों में परिलक्षित हो रहा है नया राजस्थान

(राज्य सरकार ने 30 नवम्बर, 2024 को 9 नई नीतियों एवं योजनाओं को अनुमोदित किया जिनके मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया जा रहा है)

राजस्थान एमएसएमई नीति -2024

- राज्य में एमएसएमई उद्यमों को सक्षम और अनुकूल वातावरण मिल सके और ये उद्यम वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बन सकें, इस दृष्टि से इनके क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 को मंजूरी प्रदान की गई है।
- राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में नए एमएसएमई उद्यम लगाने और मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए तक ऋण राशि पर चयनित इकाइयों को 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। यह रिप्स-2024 के अंतर्गत देय अधिकतम 6 प्रतिशत तक के ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा।
- इस योजना में लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए एसएमई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन (Equity) जुटाने के लिए किए गए खर्च पर अधिकतम 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को केन्द्र सरकार अथवा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर खरीदने पर किए गए व्यय पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकेगी। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफिकेशन तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर किए व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की पुनर्भरण सहायता भी दी जा सकेगी।
- एमएसएमई उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर स्टॉल रेंट अनुदान व आवागमन हेतु अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपये तक की सहायता एवं उद्यमों के डिजिटाईजेशन हेतु उपकरण व सॉफ्टवेयर क्रय पर हुए व्यय का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए तक पुनर्भरण प्रदान किया जाएगा।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से एमएसएमई इकाइयों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फीस का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार तक पुनर्भरण किया जायेगा।

राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति

- अभी निर्यात की दृष्टि से राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। राज्य सरकार की मंशा है कि राजस्थान टॉप 10 निर्यातक राज्यों में शुमार हो। राज्य के निर्यातक अन्य राज्यों से मिल रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनें और उनकी पहुंच विश्व के नए बाजारों तक बने जिससे अगले 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.50 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि की जा सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान निर्यात संवर्धन

नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

- इस नीति के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चला कर नये उद्यमियों को निर्यातक बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें निर्यात प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण हेतु प्रति इकाई प्रति वर्ष लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जायेगी।
- निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर, प्रदर्शनियों एवं बायर-सेलर मीट जैसे आयोजनों में भाग लेने पर व्यय का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता का लाभ निर्यातक 2 वर्ष में एक बार ले सकेंगे।
- निर्यात संबंधी सर्टिफिकेशन के लिए व्यय का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 20 हजार रुपए प्रति शिपमेंट व 3 लाख रुपए अधिकतम प्रति वर्ष) तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्राप्ति व अपग्रेडेशन के लिए व्यय का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी।
- निर्यात में ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन देने के लिए एक्स्पोर्ट से जुड़ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस की 75 प्रतिशत राशि या अधिकतम 2 लाख रुपए तक पुनर्भरण का प्रावधान इस नीति में किया गया है।
- रिप्स-2024 के तहत प्रथम बार निर्यातकों के लिए माल भाड़ा लागत का 25 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 25 लाख रुपए तक प्रति वर्ष प्रति इकाई सहायता का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

- जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों के विकास को बढ़ावा देकर जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति -2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- ओडीओपी नीति के अमल में आने से जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ओडीओपी घोषित उत्पादों के कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। इससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस नीति में ओडीओपी उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा जिससे इनके डिजाइन, गुणवत्ता और विपणन में सुधार आएगा।
- इस नीति में ओडीओपी से संबंधित नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जायेगी।
- इस नीति में ओडीओपी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को केन्द्र सरकार अथवा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर खरीदने पर किए गए व्यय पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकेगी। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय के क्वालिटी सर्टिफिकेशन तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर किए गए व्यय का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की पुनर्भरण सहायता भी दी जा सकेगी।
- ओडीओपी उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर स्टॉल रेंट अनुदान व आवागमन हेतु अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता और ओडीओपी एमएसएमई उद्यमों में ई-कॉमर्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 2 साल तक प्लेटफार्म फीस का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए प्रतिवर्ष तक पुनर्भरण सहायता दी जाएगी।
- कैटलॉगिंग सेवाओं के लिए और पूरी तरह फंक्शनल ट्रांजैक्शनल ई-कॉमर्स वेबसाइट के विकास के लिए इन उद्यमों को कुल व्यय की 60 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

- राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा तथा एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता बढ़ा कर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का अनुमोदन किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मौजूदा क्लस्टर्स में कॉमन फेसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) के माध्यम से प्रशिक्षण, कच्चा माल डिपो, सामूहिक उत्पादन/प्रसंस्करण, उत्पाद टेस्टिंग आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- इस योजना में हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर्स हेतु ट्रेनिंग, मार्केट डेवलपमेंट, एक्स्पोजर विजिट्स, मानकीकरण एवं क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसी सॉफ्ट इन्टरवेन्शन गतिविधियों के संचालन हेतु अधिकतम 50 लाख रुपए की सहायता दी जायेगी। आर्टीजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर्स में कच्चा माल डिपो के संचालन हेतु कम्पोजिट / सावधि ऋण पर 8 प्रतिशत तक की ब्याज अनुदान सहायता उपलब्ध होगी।
- राज्य के शिल्पकारों एवं बुनकरों द्वारा ई-कॉमर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकतम 50 हजार रुपए तक की विक्रय सहायता प्रदान की जायेगी।

- इस योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के समूह को 10 करोड़ रुपए तक की लागत के सीएफसी की स्थापना हेतु 90 प्रतिशत तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। गैर रीको क्षेत्रों में स्थित एसएमई क्लस्टर्स में 10 करोड़ रुपए तक की लागत के सीएफसी की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- गैर रीको क्षेत्रों में क्लस्टर एप्रोच पर एमएसएमई के लिए न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु परियोजना लागत की अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है।

राजस्थान AVGC-XR नीति-2024

- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्स्टेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान AVGC-XR नीति- 2024 का अनुमोदन किया गया है।
- प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश में निवेश और तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बजट सत्र 2024-25 में राजस्थान AVGC-XR नीति-2024 लागू करने की घोषणा की गई थी।
- इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने के प्रावधान किया गया है। स्थनीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने वाले स्टार्ट अप्स व उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- AVGC-XR के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं एडवांस्ड कम्प्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024

- राज्य में पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति - 2024 पूर्व की पर्यटन इकाई नीति-2015 को प्रतिस्थापित करेगी।
- नई नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन से जुड़े निवेशकों व उद्यमियों को आकर्षित कर निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है।
- नई नीति में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इनडोर / आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल/वे-साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्ट-अप्स जैसी नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा गया है।
- न्यूनतम 100 करोड़ रूपये का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आंवटित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि (जिसका अन्य स्वतंत्र उपयोग नहीं हो) को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि डीएलसी और शहरी क्षेत्रों में आवासीय डीएलसी पर उन्हीं पर्यटन इकाइयों को आवंटित किया जा सकेगा। हालांकि, अतिरिक्त भूमि का ऐसा आवंटन पर्यटन इकाई के स्वामित्व भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एक पर्यटन इकाई को भूमि आवंटन का अवसर एक बार ही देय होगा।
- नवीन पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं भू-सम्परिवर्तन (कन्वर्जन चार्जेज) के लाभ RIPS-2024 के प्रावधानों के अनुसार देय होगे। नवीन पर्यटन इकाइयों को Development Charge एवं Land use change charge से पूर्ण छूट देय होगी।
- राज्य में ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिया गया है। ऐसे में अब पात्र पर्यटन इकाइयों द्वारा यूडी टैक्स और बिजली दर औद्योगिक दरों पर देय होंगे। साथ ही, भवन प्लान अनुमोदन शुल्क भी औद्योगिक दरों पर लिया जाएगा।
- पर्यटन इकाइयों के संचालन हेतु स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट लाईसेंस एक बार में 10 वर्ष के लिये एवं फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष के लिए जारी की जायेगी।
- रेस्टोरेंट को कम्पोजिट बार लाइसेंस आबकारी नीति के अनुरूप दिया जायेगा। हेरिटेज होटल/हेरिटेज रेस्टोरेंट को रियायती दरों पर कम्पोजिट बार लाइसेंस आबकारी नीति के अनुरूप दिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र की 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की हेरिटेज संपत्तियों को पंचायती राज विभाग द्वारा फ्री होल्ड पट्टे स्थानीय निकाय विभाग के अनुरूप दरों पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- नई नीति में सभी वॉल्ड सिटी क्षेत्रों में होटलों और पर्यटन इकाइयों को सड़क चौड़ाई की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
- होटल एवं रेस्टोरेंट को दुगुना Built-up Area Ratio अर्थात BAR4 बिना किसी बेटरमेंट लेवी के देय होगा।
- शहरी क्षेत्रों में संकरी सड़कों पर उन हेरिटेज होटल/हेरिटेज रेरेस्टोरेंट संचालित करने की अनुमति दी जायेगी जिनके पास निर्धारित सड़क चौड़ाई पर एक Dedicated Parking की व्यवस्था होगी।

- नीति में परिभाषित 22 सीट या उससे अधिक क्षमता के वातानुकुलित पर्यटक लक्जरी कोच को मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी जाएगी।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति- 2024

- अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भण्डारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए Rajasthan Integrated Clean Energy Policy-2024 (राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति) का अनुमोदन किया गया है।
- नई नीति में अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी एवं ग्रीन हाईड्रोजन से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इस नीति में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापना के लक्ष्य को 90 गीगावाट से बढ़ाकर 125 गीगावाट किया गया है।
- इसके अंतर्गत फ्लोटिंग, रिजर्वायर टॉप, कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा।
- नई नीति के प्रावधानों में पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और 8 मार्च 2019 के बाद स्थापित सभी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा परियोजना माना गया है।
- नई नीति के अंतर्गत नेट मीटरिंग व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 80 प्रतिशत क्षमता तक सोलर रूफटॉप स्थापना को अनुमत किया जा सकेगा। छोटी विण्ड मिल को रूफटॉप प्लान्ट में जोड़ने एवं आवश्यकता अनुसार वर्चुअल एवं ग्रुप नेट मीटरिंग अनुमत किये जाने के प्रावधान भी इस नीति में किए गए हैं।
- नवीन नीति के अनुसार राज्य में सभी तरह की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं एवं अक्षय ऊर्जा पार्कों को राजकीय भूमि आवंटित हो सकेगी।
- वर्चुअल पीपीए पर आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाओं और कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के प्रावधान भी नई नीति में शामिल किए गए हैं।
- आवासीय, औद्योगिक और कॉमर्शियल इमारतों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन, नेट जीरो बिल्डिंग को प्रोत्साहन तथा ग्रीन पावर सप्लाई टैरिफ पर शत प्रतिशत अक्षय ऊर्जा डिस्कॉम द्वारा सप्लाई किये जाने के प्रावधान भी इस नीति में शामिल किये गये हैं।
- नई नीति में 10 मेगावाट तक की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं / पार्कों का पंजीकरण शुल्क घटाकर मात्र 5000 रूपये प्रति प्रोजेक्ट / पार्क रखा गया है। नवीन पार्क के अंदर स्थापित होने वाली परियोजना के लिए अलग से पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को RIPS-2024 के अनुसार भी लाभ देय होंगे।
- नई नीति के तहत वर्ष 2029-30 तक राज्य में 10 हजार मेगावाट क्षमता के पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- बीईएसएस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना पर परियोजना की न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षमता का ऊर्जा भंडारण संयंत्र अनिवार्य रूप से लगाने का प्रावधान नई नीति में शामिल है। ऊर्जा भंडारण संयंत्र RIPS-2024 के तहत समस्त परिलाभ एवं नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
- वर्तमान में राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस अथवा बायो सीएनजी के प्लान्ट लगाने हेतु कोई नीति नहीं है। ऐसे में बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG/Bio CNG), बायो एथेनॉल एवं बायोकोल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रावधान नवीन नीति में शामिल किए गए हैं।
- वर्ष 2030 तक प्रदेश में 2000 KTPA ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन, रिफाइनरी एवं फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्ति हेतु न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वेली की स्थापना, कम से कम एक गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना, भारत से ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का न्यूनतम 20 प्रतिशत निर्यात राजस्थान से करने एवं राज्य में उत्पादित नैचुरल गैस में 10 प्रतिशत तक ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंन्डिंग के लक्ष्य तय किए गए हैं।
- इसे देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को RIPS-2024 के लाभ देय होंगे। इनके लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अक्षय ऊर्जा उत्पादन के एक तिहाई बैंकिंग सुविधा के साथ ग्रीन हाइड्रोजन हेतु अक्षय ऊर्जा प्लान्ट की क्षमता को कान्ट्रेक्ट डिमान्ड से 2.5 गुणा तक अनुमत किया जाएगा।
- RVPNL के नेटवर्क पर स्थापित होने वाले प्रथम 500 KTPA तक अक्षय ऊर्जा प्लान्ट्स को नीति के अंतर्गत प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 7 वर्ष तक 50 प्रतिशत छूट, 3rd पार्टी से अक्षय ऊर्जा कय करने पर Additional एवं Cross subsidy surchage में 7 वर्षों तक छूट, Brine water या Treated Water से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर राजकीय भूमि आवंटन में प्राथमिकता जैसे विशेष प्रोत्साहन भी देय होंगे।

ये विशेष प्रोत्साहन प्रत्येक प्लान्ट की अधिकतम 50 मेगावाट क्षमता तक देय होंगे।

राजस्थान खनिज नीति-2024

- सरकार ने परिवर्तित बजट 2024-25 में प्रदेश में नई खनिज नीति लागू करने की घोषणा की थी। इस क्रम में कैबिनेट द्वारा नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई खनिज नीति प्रदेश में खनन आधारित उद्योगों, औद्योगिक निवेश, युवाओं व स्थानीय लोगों को रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने में कारगर साबित होगी।
- नई खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3.4 प्रतिशत की भागीदारी को वर्ष 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, खनन के अन्तर्गत वर्तमान क्षेत्रफल 0.68 प्रतिशत से बढ़ाकर 2029-30 तक 1 प्रतिशत और 2046-47 तक 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई नीति में खनिज क्षेत्र से सालाना करीब 7500 करोड़ रु. के राजस्व को बढ़ाकर एक लाख करोड़ करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर एक करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई खनिज नीति में केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप प्रदेश में खनिज खोज कार्य में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ाने, केन्द्र व राज्य सरकार के एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में उपलब्ध राशि का खनिज खोज कार्य हेतु सुदृढ़ ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है।
- ऑक्शन के साथ ही खनन कार्य आरंभ हो सके, इसके लिए प्री एम्बेडेड अनुमतियां प्राप्त करके ही खनिज ब्लॉक्स की नीलामी करने, खनन सेक्टर में जनजाति क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बिड सिक्योरिटी आधी करने के प्रावधान किये गये हैं।
- नीलामी के बाद की विभिन्न अनुमतियों आदि की औपचारिकताएं पूरी कराने में विभागीय सहभागिता तय करते हुए पोस्ट ऑक्शन सैल को सुदृढ़ किया जाएगा।
- राज्य की मिनरल डायरेक्ट्री तैयार कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही बजरी के अवैध खनन को रोकने और विक्रय मूल्य का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिये सेण्ड पोर्टल विकसित किया जाएगा।
- इसी तरह से अप्रधान खनिजों के रियायत नियमों को सरल व तर्कसंगत बनाया जाएगा ताकि समस्याओं व विसंगतियों का निराकरण हो सके।
- आधुनिकतम तकनीक के उपयोग से जीरो वेस्ट माईनिंग को बढ़ावा देने के साथ ही स्टार रेटिंग सिस्टम, रॉयल्टी वसूली के लिए ऑनलाईन रिसिप्ट जैसी व्यवस्थाएं की जाएगी।
- परमिट व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा ताकि आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य बिना किसी बाधा व अवरोध के तेजी से हो सके। प्रदेश में अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए खानों की जिओ फेंसिंग, जीपीएस बेस्ड व्हिकल ट्रेकिंग सिस्टम, आरएफआईडी आधारित चैक पोस्ट स्थापित की जाएगी। माइनिंग सर्विलांस सिस्टम भी विकसित किया जाएगा।

राजस्थान एम-सेण्ड नीति- 2024

- केबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई राज्य की नई एम-सेण्ड नीति में प्रदेश में एम-सेण्ड इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने और प्रदेश में बजरी के सहज और सस्ते विकल्प के रुप में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- नई एम-सेण्ड नीति से पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार के लिए नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी और भवनों एवं कंक्रीट ढांचे के मलबे की रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- नई एम-सेण्ड नीति में एम-सेण्ड इकाई की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ व 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त की गई है।
- ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम कर आधा किया गया है, वहीं नीलामी के समय एम-सेण्ड यूनिट के लिए दो प्लाट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। इसी तरह से कीननेस मनी को भी दो लाख से कम कर एक लाख किया गया है।
- इसके साथ ही ओवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में छूट, सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 25 प्रतिशत एम-सेण्ड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है।
- एम-सेण्ड को बढ़ावा देने के लिए इन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2024 के परिलाभ भी दिए जाएंगे।

Empowering MSMEs: The Promise of 'Rising Rajasthan'

Opinion

Prof. Deepak Chitkara
Associate Professor (Pharmacy)
Coordinator, BITS-Technology Enabling Centre & Intellectual Property Enablement and Commercialization (IPEC) Division
BITS Pilani

In a rapidly evolving techno-economic landscape, empowering the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play a pivotal role that drives our nation's growth. Apart from being an important contributor to employment; MSMEs embody the resilience and creativity essential for industrial advancement. Initiatives like "Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024" are crucial for the MSME sector, providing a platform beyond collaboration and knowledge sharing that will not only strengthen the backbone of any industry but enlighten the future path to becoming the global leader. The thoughtfully curated agenda includes sessions on pivotal themes such as Digital Transformation, Agri-Business Innovations, and Sustainable Finance. Additionally, country-focused sessions unlock opportunities to reach beyond the boundaries of the country, exploring international markets, and networking with global partners.

What excites me most is the government's proactive engagement, with initiatives on industry- academia partnerships. Being from the academic setting, and with a close association with the innovation ecosystem at BITS Pilani, I can truly understand the impact such collaborations can have on solving real-world challenges faced by the MSME sector. Universities being the hub for generating innovative solutions, backed by the intellectual property, it is essential to provide programs and platforms that can bridge the gap and assist in creating the conducive ecosystem such as the creation of the Technology Enabling Centers in the university ecosystem by Department of Science and Technology (DST), Government of India.

As I reflect on the spirit of Rising Rajasthan, I am struck by its potential to empower entrepreneurs from all walks of life, especially through sessions like HerStory: Advancing Inclusive Societies and FutureCare: Transforming Healthcare Through Innovation. With parallel sectoral and country sessions tailored across the three days, this summit is an unparalleled platform that brings together all the stakeholders including entrepreneurs, investors, and policymakers to collaborate and catalyze progress. Additionally, The MSME Conclave, set for Day 3, aptly titled "Creating Future Ready MSMEs," promises to deliver critical insights and practical tools to equip MSMEs for sustainable growth.

For me, this event is more than a summit-it's a vision brought to life. By connecting with like-minded leaders and innovators at Rising Rajasthan, we are not only advancing MSME growth but also setting the stage for a more robust, resilient, and equitable future.

□□□

Sohan Singh Memorial Skill Development Centre

Beginning of A New Era for Self-Reliant New India

(This Skill Centre is a Dream Project of Laghu Udyog Bharati based on Entrepreneurship and the Core Idea to produce Job Creators, rather than Job Seekers.)

The inauguration of Sohan Singh Smriti Kaushal Vikas Kendra in Jaipur will be a landmark in the regime of skill development in india.

This multi-skilling centre has spacious classrooms, equipped with modern amenities and innovation activities. Established with a vision to empower India's youth and workforce, our centre serves as a bridge between traditional expertise and modern industrial demands. We take pride in nurturing talent and creating skilled professionals who contribute to the nation's micro, small, and medium enterprises (MSME) sector.

The state-of-the-art facility is equipped with modern training infrastructure and staffed by industry experts who bring real-world experience to the classroom. We offer specialized courses in various trades including Artificial Intelligence, Electricals & Electronics, Accounts & Computers, Handicrafts, Startups & Incubation, Apparels & Fashion Designing, Excel MIS Programs, Digital Marketing Skills. The curriculum is designed in consultation with industry leaders to ensure practical training and to empower individuals, making them self-capable and self-reliant. Each course has a minimum duration of 90 days, ensuring comprehensive learning and skill acquisition. To enrol, there is a nominal registration fee of Rs.500. This fee helps to cover the basic administrative costs associated with enrolment.

Understanding the importance of a conducive learning environment, the Skill Development Centre provides free accommodations for all enrolled students. This initiative ensures that all learners can focus on their studies without the burden of additional living expenses. The accommodations are comfortable and designed to support both educational and personal needs.

Transform your career with our industry-focused skill development programs. Join thousands of successful professionals who started their journey with us.

India's Largest Skill Development Centre

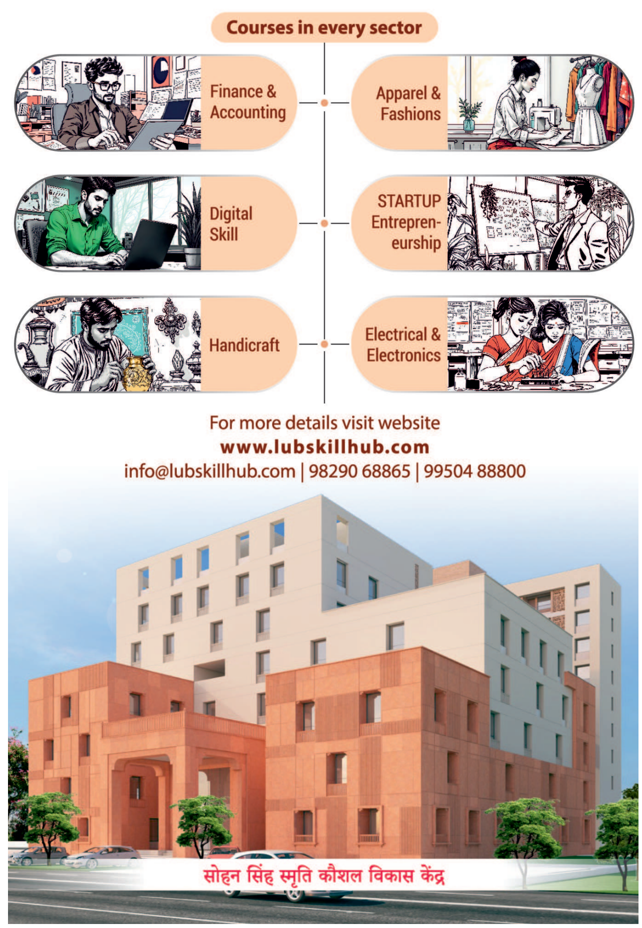

लघु उद्योग भारती
स्वयंसिद्धा
MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
SWAYAMSIDDHA EXHIBITION
STALL BOOKING IS OPEN
20, 21 & 22 DEC 2024
NK HALLIMAX HOTEL
KISHANGARH (RAJ)
CONTACT
Mrs. Anju Agarwal
9352020378
Mrs. Rinku Malpani
9785500555
Mrs. Veena Agarwal
9772222599

लघु उद्योग भारती
GRAND OPENING
स्वयंसिद्धा
लघु उद्योग भारती
स्वयंसिद्धा
SWAYAMSIDDHA EXHIBITION
PLEASE JOIN US
HOME DECOR
JEWELLERY
FASHION
FOOD
10, 11, 12 JANUARY - 2025
Shubham Garden Near
(Maheshwari Bhawan)
Jhalawad Road, Kota
महिला इकाई, कोटा (राज.)

LUB's News in Brief ...

Tamil Nadu Unit conducts MSME Sangamam-2024

LUB's Tamil Nadu state unit organised MSME Sangamam-2024. It highlighted the incredible strength and diversity of the MSME community with excellent sessions.

The emphasis on the China + 1 Strategy and Import Substitution, coupled with insightful panel discussions and strategic collaborations with CSIR and SIDBI, underscored the collective commitment to fostering innovation and self-reliance. The diverse product displays, ranging from HR solutions, solar technology, CNC machines, and water purifiers to accounting systems, heat treatment technologies, logistics, banking solutions, and ZED initiatives, offered participants a wealth of insights and valuable networking opportunities.

Dr. Anantha Nageswaran and Shri Sridhar Vembu's inspiring presence significantly elevated the event's impact. The release of the MSME Members Directory is a groundbreaking initiative that will facilitate enhanced business connectivity and opportunities across the country.

AUS High Commission Talks LUB for Joint Collaboration

Ms. Liza Maria Powell, Director Trade & Investment Education, Australian High Commission visited Laghu Udyog Bharati, Karnataka office on 28th November to discuss collaboration in the education and skilling space. The meeting was very fruitful as the Director assured full support to LUB-K efforts in skilling arena of MSMEs.

US-based Business Delegation Meets LUB-K Members

A US-based IT-Product Development delegation comprising of Shri Vinod Keremane and Shri Yathish Nagavalli visited office on 12th November to explore business opportunities with LUB-Karnataka Membership base. The Team had a wide range of deliberation with cross section of LUB-K members who are into IT products and Services and Start up ecosystem.

LUB & IIM Mumbai signed MOU

Laghu Udyog Bharati and IIM Mumbai signed a MOU on key focus areas: Drive MSME Sustainability through the Net Zero Initiative, Empower with Skill Development & Digital Transformation. Foster innovation with R&D, Hackathons & Knowledge Sharing. This 5-year partnership, under Director-IIM, Prof. Manoj K. Tiwari guidance, aims to transform the MSME ecosystem with sustainable, innovative, and competitive businesses.

Goa Unit organised MSME Conclave 2.0

LUB's Goa unit organised MSME Conclave 2.0 at the Amazing Goa Summit and Expo at Dr. Shyama Prasad Stadium Bambolim. On this occasion, domain expert speakers CA Maheshwar Marathe spoke on 'New Era Incentives for MSMEs and Shri Abhay B. Fulke, Senior Scientist CSIR on 'Waste to Wealth: R&D Innovation for Transforming India's Bioeconomy.

The program had a panel discussion on 'Opportunities and Challenges facing MSMEs in Goa' moderated by LUB executive committee member Ms. Pallavi Salgaocar with panellists- Shri Pravimal Abhishek IAS MD GIDC, Shri Manguirish Raikar Assocham Goa Chairman, Shri Aniruddh Dempo President GSIA, Shri PP Kulkarni Assistant Director MSME DFO Goa and LUB's executive council member Shri Rahul Parab.

There was also a Vendor Development pro-

gram by PSU Heads from NBCC, Mormugao Port Trust, Goa Shipyard and ONGC. The MSME awards in the Startup category was given to Lit Air Founders Shri Rohan Nadkarni and Shri Sachin Shah, Scale-up Category- Zantye's Cashewnuts Shri Pravin, Siddharth and Shri Rohit Zantye and Women Leading MSME Category- Entrepreneur Ms. Sneha Bhagwat, Oorja Wellness Centre. In the conclave, the Industry Minister Shri Mauvin Godinho and Shri Suresh Prabhu were special guests.

Ajmer Women Wing Organised an Industrial & Educational Tour

LUB's Ajmer Women Wing organised an Industrial and Educational Tour for the students of Dayanand College at UWON Packaging Private Ltd., Rajsamand. It was an amazing experience for the students to witness the live manufacturing of Jumbo Bags. Shri Sandeep Samsukha coordination

Jammu Unit Discussed on New Challenges and Nation Building

LUB's Jammu unit and Industry Association Gangyal jointly organized a special interaction in the esteemed presence of Shri Chandra Wadhwa, Cost Accountant and Past President of the Institute of Cost Accountants of India, currently a member of the RSS All India Sampark Toli. Discussions during the meet focused on nation-building, global challenges, and critical issues concerning the local industry, fostering meaningful dialogue for progress and development.

Chennai Unit arranged Lab Visit @ CSIR

In the series of CSIR Lab visit in 100 Days & 100 Technologies campaign, the Chennai Unit arranged the Lab visit to CLRI on 22nd Nov. This visit provided a valuable opportunity to explore the labs and gain direct insights into cutting-edge technologies from the scientists themselves. Engaging with the CSIR team was an instrumental in leveraging these effective and efficient technologies to drive business growth.

Chandigarh Unit conducts Awareness Program on LEAN Scheme

LUB's Chandigarh unit hosted an Awareness Program on the MSME Competitive (Lean) Scheme. This Scheme provides a pathway to enhance global competitiveness for Indian MSMEs. This initiative aims to elevate quality, productivity, and overall performance, encouraging a mindset shift among manufacturers to transform them into world-class producers.

Alwar Unit conducted Motivational Talk on Entrepreneurship

LUB's Alwar Women Wing organized an inspiring event at Government P.G. College, Bibirani on 20th Nov. This motivational talk aimed to encourage students to explore entrepreneurship after completing their studies and emphasized the importance of enrolling in skill development programs.

The event highlighted the upcoming inauguration of India's largest multi-skill development centre 'Sohan Singh Smriti Kaushal Vikas Kendra' Jaipur on 11th Dec. Laghu Udyog Bharati Women Wing Alwar President Shivani Yadav and Joint Secretary Kavita Saini shared the vision and mission of Laghu Udyog Bharati. The college principal Smt. Kakuli Chowdhary and the placement cell head Shri KK Yadav expressed their gratitude.

LUB's National General Secretary Shri Om Prakash Gupta and National Secretary Smt. Anju Bajaj met CEO NSDC Shri Ved Mani Tiwari and Discussed on Skill Development & RPL Initiatives. On this occasion, LUB's Delegation Invited him for Inaugural Ceremony of Sohan Singh Memorial Skill Development Centre at Jaipur to be held on 11th Dec. 2024.

LUB's Kachchh Unit of Gujarat organised a Family Get-together in the presence of Former National President Shri Baldev Bhai Prajapati, State President Shri Ishwar Bhai Patel and Members of Gandhidham Chamber of Commerce.

LUB's Erode Unit of Tamil Nadu State conducted MSME Outreach Program in association with SIDBI on 27th November, 2024.

LUB's Delegation led by Shri Ghanshyam Ojha met Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma and invited him for Inauguration of Sohan Singh Memorial Skill Development Centre at Jaipur to be held on 11th Dec. 2024. National Secretary Shri Naresh Pareek, State Treasurer Shri Arun Jajodia, Vice President Shri Mahendra Khurana and Jaipur Anchal President Shri Sudhir Garg were also present.

LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, Commerce & Industry Minister, Rajasthan Shri Rajyavardhan Singh Rathore, National Secretary Shri Naresh Pareek with Rajasthan Officials and Organising Team released the Brochure of 11th Edition of India Industrial Fair-IIF to be held at Udaipur City on 10-13 January, 2025.

MoS Industry, Govt. of Rajasthan Shri K.K. Vishnoi, LUB's National Secretary Shri Naresh Pareek, State Vice President & Convener, Stone Mart-2026 Shri Natwar Lal Ajmera, Shri Mahendra Khurana, CEO CDOS (Centre for Development of Stones) Shri Mukul Rastogi and Director Shri Vivek Jain at Marmomac Stone Exhibition at Verona City, Italy.

LUB's Pithampur Unit (Malva Anchal) of Madhya Pradesh State conducted a Program on MSME Lean Management in the presence of Former State President Shri Mahesh Gupta and MSME DFO Officials on 29th Nov. 2024.

UDYOG TIMES | OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI | 30 November, 2024 | Registration No. RAGBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़
मा. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

श्री के. के. विश्नोई
मा. उद्योग राज्य मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के विकास में समर्पित
लघु उद्योगों के विकास की प्रदर्शनी

आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम...

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2025

PASHCHIMI RAJASTHAN UDYOG HASTSHILP UTSAV JODHPUR UTSAV 2025

9 से 19 जनवरी, 2025 तक

स्थान – रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर

संपर्क – जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जोधपुर, दूरभाष – 0291-2431937

आयोजक - जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर

नोडल एजेंसी

लघु उद्योग भारती, जोधपुर प्रांत

लघु उद्योग भारती

रीको गेस्ट हाउस के पास, रेलवे डीजल शेड के सामने, जोधपुर
दूरभाष – 0291-2944981 / 2745360

(संपूर्ण भारत की कला, संस्कृति, हस्तशिप एवं लघु उद्योग उत्पादनों की अनूठी प्रदर्शनी, विभिन्न प्रतियोगिताएं, मनोरंजन, सांस्कृतिक संध्या तथा फूड स्टॉल)

लघु प्रयास से हम मिलकर, चलो करें कोई नव उद्यम। भारत को आत्मनिर्भर करने, संकल्पित हो सभी करें श्रम।

Follow us
lubindia | lubindia
@lubBharat | lub.india
laghu-udyog-bharati

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019